अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-बी-1-बजट नोड्यूज//2022-23// 86 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,।

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 18 मई, 2023

1. **समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,**
   राज्य कर उत्तर प्रदेश ।
2. **आहरण एवं वितरण अधिकारी (प्रशिक्षण संस्थान), राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।**
3. **आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय, ।**

विषयः- **विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में स्वीकृत अग्रिमों के विरूद्ध अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।**

यह विदित है कि स्वीकृत अग्रिमों के विरूद्ध अदेयता निर्गत किये जाने की कार्यवाही कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के द्वारा की जाती है । महालेखाकार कार्यालय को प्रकरण प्रेषित किये जाते समय प्रकरण के साथ आवश्यक अभिलेख **यथा, स्वीकृत अग्रिम आदेश, अवमुक्त आदेश, सीमित आदेश** (यदि हो) **आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर आगणित अनन्तिम ब्याज गणना की आगणन शीट एवं कार्मिक के वेतन से की गयी कटौतियों का विवरण** (मय वाउचर संख्या दिनांक सहित अग्रिम वसूली पासबुक के प्रारूप में) **सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा यथावश्यक प्रविष्टियों के अंकन एवं सत्यापन/प्रमाणन सहित प्राप्त करायी गयी प्रतियां** प्रेषित की जानी होती है ।

2. प्रायः यह देखा जाता है कि स्वीकृत अग्रिमों के मूलधन एवं ब्याज की वसूली पूर्ण हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों के कार्यालय स्तर से स्वीकृत अग्रिमों के विरूद्ध अदेयता निर्गत किये जाने सम्बन्धी जो भी प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किये जाते है, उनके साथ उक्तानुसार अभिलेख संलग्न न होने के कारण इस कार्यालय स्तर पर अप्राप्त अभिलेखों को प्राप्त किये जाने हेतु पत्राचार करना पडता है, जिसके कारण एक तरफ जहॉं स्वीकृत अग्रिम के विरूद्ध अदेयता निर्गत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण को कार्यालय महालेखाकार प्रेषित किये जाने में विलम्ब होता है, वही दूसरी ओर सरकारी समय, श्रम, एवं संसाधनों का अनावश्यक क्षरण भी होता है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में आपसे अपेक्षा की जाती है कि अदेयता सम्बन्धी प्रकरणों को मुख्यालय प्रेषित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये, कि प्रकरण के साथ उक्तानुसार आवश्यक प्रपत्र **दो-दो प्रतियो में** संलग्न किये जा रहें है ।

(शैलेश गिरि)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0स0वदिनांकउक्त

1. समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आप अपने स्तर सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित ।

(शैलेश गिरि)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश. लखनऊ ।